क.

होटल प्रिया, एक संपत्ति

वी.

महाराष्ट्र राज्य और ओ. आर. एस. (2022 की सिविल अपील संख्या 1459)

फरवरी 18,2022

[के. एम. जोसेफ और एस. रवींद्र भाट, जे. जे.]

कैबरे प्रदर्शन, मेला और तमाशा नियम, 1960-आरआर सहित सार्वजनिक मनोरंजन के लिए लाइसेंस और प्रदर्शन।108, 109, 120, 122 और 123-भारत का संविधान-अनुच्छेद 15 (1), 19 (1) (जी)-विवादित शर्तों ने अन्य बातों के साथ-साथ महिलाओं या पुरुषों की संख्या के रूप में एक लिंग सीमा लागू की, जो लाइसेंस प्राप्त सलाखों में ऑर्केस्ट्रा और बैंड में प्रदर्शन कर सकते हैं-उच्च न्यायालय द्वारा बरकरार रखी गई शर्तों को चुनौती-अपील पर कहा गयाःविवादित लिंग सीमा रूढ़िवादी दृष्टिकोण का उत्पाद है कि अपीलकर्ताओं की तरह बार और प्रतिष्ठानों में प्रदर्शन करने वाली महिलाएं समाज के एक निश्चित वर्ग से संबंधित होती हैं-ऐसे उपाय जो महिलाओं की रक्षा करने का दावा करते हैं, वास्तव में अनुच्छेद 15 (1) और अनुच्छेद 19 (1) (जी) का उल्लंघन करते हैं-बाद का प्रावधान कलाकारों के साथ-साथ लाइसेंस मालिकों दोनों के लिए अपने प्रभाव में-महिलाओं या पुरुषों की संख्या के रूप में लिंग सीमा लागू करने की शर्त, जो ऑर्केस्ट्रा और बैंड में प्रदर्शन कर सकते हैं, 1960 के नियमों और अन्य संबद्ध प्रावधानों के तहत लाइसेंस प्राप्त सलाखों में प्रदर्शन कर सकते हैं-हालांकि, कलाकारों की समग्र संख्या, या यहां तक कि एक मंच के आयामों पर विनियमन शून्य है। वे आयुक्त या सरकार के अधिकार के वैध क्षेत्र के भीतर आ सकते हैं जो ऐसी शर्तें तैयार करता है-इस प्रकार, जबकि किसी भी प्रदर्शन में प्रदर्शन करने वालों की समग्र सीमा आठ से अधिक नहीं हो सकती है, रचना (यानी, सभी महिला, बहुसंख्यक महिला या पुरुष, या इसके विपरीत) किसी भी संयोजन की हो सकती है-विवादित निर्णय-महाराष्ट्र पुलिस अधिनियम, 1951-एस.2(9), 2(10), 33(1), 33(2), 162(1) & 162(2).

ग

डी.

ई.

च

जी.

अपीलों को अनुमति देते हुए**,** न्यायालय ने

पकड़नाः**1.1** वर्तमान मामले में दिए गए तर्कों में कहा गया है कि महिलाओं के कल्याण को बढ़ावा देने**,** मानव तस्करी को रोकने के लिए सार्वजनिक हित में प्रतिबंध आवश्यक हैं।

एच.

होटल प्रिया, एक स्वामित्व बनाम महाराष्ट्र राज्य और ओआरएस।

महिलाओं, और उनका शोषण, और यह कि सार्वजनिक नैतिकता के हित में प्रतिबंध आवश्यक हैं, अच्छी तरह से पहने गए हैं, और निर्णायक रूप से खारिज कर दिए गए हैं।समान अस्वीकृत प्रस्तुतियों को फिर से संगठित करने के अलावा, राज्य ने स्वतंत्र रूप से यह उचित नहीं ठहराया है कि कैसे एक व्यक्तिगत ऑर्केस्ट्रा या बैंड के लिए लिंग-टोपी नियामक है।इस अदालत के दिनांक **02.03.2016 (**रिट याचिका **(C)** संख्या **793/2014** में**)** के आदेश में दर्ज किया गया था कि शर्तें रेस्तरां और परमिट रूम क्षेत्र के बीच गैर-पारदर्शी विभाजन के साथ **F.L.-III** के लिए आबकारी विभाग की अनुमोदित योजना के अनुसार रेस्तरां क्षेत्र/परमिट रूम में मंच **(**जहां प्रदर्शन आयोजित किए जाने थे**)** के आकार को **10** फीट **x 12** फीट के क्षेत्र तक सीमित कर सकती हैं।" अदालत को सूचित किया गया कि कलाकारों की संख्या की सीमा चार होगी।हालांकि कलाकारों की संख्या की कुल सीमा, जो वर्तमान मामले में आठ है, को अनुचित नहीं माना जा सकता है, क्योंकि बाड़े **(120** वर्ग फुट**)** में वाद्ययंत्रकार भी शामिल होंगे, उस आदेश में मंडली या बैंड के लिए लिंग-सीमा पर विचार करने का कोई अवसर नहीं था। **[**पारस **39,40] [344-**सी-एफ**]**

ग

डी.

महाराष्ट्र राज्य और अन्र बनामइंडियन होटल एंड रेस्टोरेंट एसोसिएशन और अन्य। (आईएचआरए-I) (2013) 8 एससीसी 519:[2013] 7 एस. सी. आर. 654; इंडियन होटल एंड इंडियन होटल एंड रेस्टोरेंट एसोसिएशन बनाम महाराष्ट्र राज्य (आई. एच. आर. ए.-II) (2015) 16 एस. सी. सी. 100; रेस्टोरेंट एसोसिएशन और ए. एन. आर. वी.महाराष्ट्र राज्य और अन्य। (आई. एच. आर. ए.-III) (2019)

ई.

3 एससीसी **429:[2019] 1** एस**.** सी**.** आर**. 371-**संदर्भित।

1.2 विवादित लिंग-सीमा **(**अर्थात किसी भी प्रदर्शन में चार महिलाएँ और चार पुरुष**)** एक रूढ़िवादी दृष्टिकोण का उत्पाद प्रतीत होता है कि अपीलकर्ताओं की तरह बार और प्रतिष्ठानों में प्रदर्शन करने वाली महिलाएं समाज के एक निश्चित वर्ग से संबंधित होती हैं।प्रतिवादियों द्वारा प्रतिबंध को बनाए रखने के लिए प्रदान किया गया औचित्य, जहां तक वे महिलाओं की रक्षा करने का दावा करते हैं, इस अदालत की राय में, उनकी आकांक्षाओं को समाहित करने के आरोप के लिए खुला है।महिलाओं की सुरक्षा के लिए कोई वास्तविक चिंता होने की स्थिति में, राज्य का कर्तव्य है-जैसा कि अनुज गर्ग ने रेखांकित किया है, उनके काम के लिए अनुकूल परिस्थितियां पैदा करना, उनके रोजगार को सुविधाजनक बनाने के लिए उस अतिरिक्त प्रयास को विफल करने के बजाय, और उनकी पसंद को दबाना।ऐसे उपाय-जो संरक्षण का दावा करते हैं, वास्तव में अनुच्छेद **15 (3)** के विनाशकारी हैं क्योंकि वे इस रूप में छद्म रूप धारण करते हैं

च

जी.

एच.

क.

विशेष प्रावधान और महिलाओं के अपने व्यवसाय की पसंद को सीमित या पूरी तरह से बाहर करने के लिए काम करते हैं। **[**पारस **42,46] [345-**ए**; 347-**ई-जी**]**

अनुज गर्ग और ओआरएस. वी.होटल एसोसिएशन ऑफ इंडिया एंड ओआरएस।

(2008) 3 एससीसी **1:[2007] 12** एससीआर **991-**पर निर्भर।

1.3 वर्तमान मामले में**,** कलाकारों की समग्र संख्या पर विनियमन**,** या यहां तक कि एक मंच के आयामों **(**जिस पर एक प्रदर्शन हो सकता है**)** को एक प्रतिबंध के रूप में वर्णित नहीं किया जा सकता है**;** वे आयुक्त के अधिकार के वैध क्षेत्र के भीतर आ सकते हैं या सरकार जो ऐसी शर्तें तैयार करती है।इस अदालत के निष्कर्ष और निष्कर्षों को देखते हुए कि प्रतिबंध लिंग पर है**,** इस अर्थ में कि यह लिंग के आधार पर कलाकारों की संख्या को सीमित करना चाहता है।यह प्रतिबंध सीधे अनुच्छेद **15 (1)** और अनुच्छेद **19 (1) (**जी**)** का उल्लंघन करता है**-**बाद वाला प्रावधान कलाकारों के साथ**-**साथ लाइसेंस मालिकों दोनों के लिए प्रभावी है।इन निष्कर्षों को ध्यान में रखते हुए**,** इस अदालत की राय है कि इस सवाल का जवाब देना अनावश्यक है कि क्या लगाई गई शर्त**-**और जिसे अप्रवर्तनीय और शून्य माना जाता है**,** "कानून" है।जैसा कि इस अदालत के अधिकारियों ने बार**-**बार जोर दिया है**,** जब भी चुनौती आती है**,** विशेष रूप से लिंग के आधार पर**,** यह न्यायाधीशों का काम है कि वे बारीकी से जांच करें कि क्या**,** क्या और किस हद तक विवादित प्रथाओं या नियमों या मानदंडों की जड़ें ऐतिहासिक पूर्वाग्रह**,** लिंग रूढ़िवाद और पितृत्ववाद में निहित हैं।इस तरह के दृष्टिकोण का हमारे समाज में कोई स्थान नहीं है**;** हाल के घटनाक्रमों ने उन क्षेत्रों को उजागर किया है जिन्हें अब तक विशेष पुरुष "गढ़" माना जाता था जैसे कि सशस्त्र बलों में रोजगार**,** अब ऐसा नहीं है।इसी तरह**,** वर्तमान मामले में**,** यह अदालत मानती है कि विवादित स्थिति द्वारा लगाई गई लिंग सीमा अमान्य है।उम्मीद की जा सकती है कि वर्तमान निर्णय अभी भी इस अदालत के पिछले फैसलों द्वारा बहुत पहले बंद किए गए एक झांझ का एक लंबा और असंगत नोट होगा।विवादित फैसले को अपास्त किया जाता है।एतद्द्वारा यह घोषित किया जाता है कि नियम**, 1960** और अन्य संबद्ध प्रावधानों के तहत लाइसेंस प्राप्त सलाखों में ऑर्केस्ट्रा और बैंड में प्रदर्शन करने वाली महिलाओं या पुरुषों की संख्या के बारे में लिंग सीमा लागू करने की शर्त अमान्य है।जबकि किसी भी प्रदर्शन में कलाकारों की समग्र सीमा आठ से अधिक नहीं हो सकती है**,** रचना **(**यानी**,** सभी महिला**,** बहुसंख्यक महिला या पुरुष**,** या इसके विपरीत**)** किसी भी संयोजन की हो सकती है।अपील की अनुमति है**,** लेकिन लागत पर कोई आदेश नहीं है।**[**पारस **47-49] [347-H; 348-A-F] A**

ग

डी.

ई.

च

जी.

एच.

325

होटल प्रिया, ए प्रोपराइटरशिप बनाम महाराष्ट्र राज्य और ओआरएस।

जोसेफ शाइन बनाम भारत संघ **(2019) 3** एस**.** सी**.** सी**. 39:**

[2018] 11 एस**.** सी**.** आर**. 765-**अनुसरण किया गया।

कर्नाटक लाइव बैंड रेस्टोरेंट एसोसिएशन बनाम राज्य

कर्नाटक (2018) 4 एस. सी. सी. 372:[2018] 1 एससीआर 533-प्रतिष्ठित।

सी. बी. मुथम्मा बनाम भारत संघ (1979) 4 एस. सी. सी. 260:

[1980] 1 एससीआर **668-**पर निर्भर।

बिजोए इमैनुएल और ओआरएस**.** वी**.**केरल राज्य और अन्य। **(1986)**

3 एससीसी 615:[1986] 3 एस. सी. आर. 518; भारत संघ बनाम नवीन जिंदल (2004) 2 एस. सी. सी. 510: [2004] 1 एससीआर 1038;

ग

पंजाब राज्य बनाम देवांस मॉडर्न ब्रुअरीज लिमिटेड और अन्र।

(2004) 11 एससीसी **26:[2003] 5** पूरक।एस**.** सी**.** आर**. 930-**संदर्भित।

निर्णीत विधि संदर्भ

[2013] 7 एससीआर **654**

संदर्भित किया गया है

पैरा **32**

डी.

[2019] 1 एससीआर **371**

संदर्भित किया गया है

पैरा **34,35** और **37**

[2007] 12 एससीआर **991**

पर भरोसा किया

पैरा **43** और **46**

[1980] 1 एससीआर **668**

पर भरोसा किया

पैरा **43** और **46**

[2018] 11 एससीआर **765**

पीछा किया।

पैरा **44**

ई.

[1986] 3 एससीआर **518**

संदर्भित किया गया है

पैरा **37**

[2004] 1 एससीआर **1038**

संदर्भित किया गया है

पैरा **37**

[2003] 5 पूरक।एस**.** सी**.** आर**. 930** पैरा **34 [2018] 1** एस**.** सी**.** आर**. 533** विशिष्ट पैरा **41** में संदर्भित है।

च

सिविल अपीलीय न्यायनिर्णयः2022 की सिविल अपील संख्या 1459।

2010 की रिट याचिका संख्या 7962 में बॉम्बे में उच्च न्यायालय के न्यायिक निर्णय और आदेश दिनांक 06.05.2011 से।

जी.

सह

2022 की सिविल अपील संख्या 1460 और 1461।

प्रसेनजीत केसवानी, सत्यजीत साहा, उपमन्यु तिवारी, श्रीमती वी. डी. खन्ना, मनोज के. मिश्रा, उमेश दुबे, प्रतीक सोम, आलोक पांडे, डॉ. भीम प्रताप सिंह, अधिवक्ता।अपीलार्थी के लिए।

एच.

326

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2022] 16 एस सी आर।

क.

सचिन पाटिल, राहुल चिटनिस, आदित्य ए. पांडे, जियो जोसेफ, विवेकानंद सिंह, अधिवक्ता।उत्तरदाताओं के लिए।

न्यायालय का निर्णय इसके द्वारा दिया गया था

एस. रवींद्र भाट, जे.

1 . अनुमति प्रदान की गई. ये अपीलें बॉम्बे उच्च न्यायालय के एक फैसले (और एक आदेश जो बाद में इसका पालन करता है) 1 से उत्पन्न होती हैं, जिसने दिनांक 1 के आदेश के तहत लगाई गई शर्तों को बरकरार रखा।

तथ्यों का सारांश

2. अपीलकर्ता या तो मालिक हैं या आवश्यक लाइसेंस/अनुमतियों के साथ रेस्तरां और बार का संचालन कर रहे हैं।ऑर्केस्ट्रा प्रदर्शन उनके परिसर में एक आम विशेषता है।इसलिए वे "ऑर्केस्ट्रा बार्स" उपनाम से जाने जाते हैं।इस सुविधा के लिए, उन्हें महाराष्ट्र पुलिस अधिनियम, 1951 (इसके बाद "अधिनियम, 1951") के तहत बनाए गए कैबरे प्रदर्शन, मेला और तमाशा नियम, 1960 (इसके बाद "नियम, 1960") सहित सार्वजनिक मनोरंजन के लिए लाइसेंस और प्रदर्शन के तहत परिसर और प्रदर्शन लाइसेंस प्राप्त करने की आवश्यकता है।पुलिस आयुक्त, बृहन्मुंबई ने नियम, 1960 के नियम 108 ए, 109,118,207 और 209 के साथ पठित अधिनियम, 1951 की धारा 33 (1) (डब्ल्यू) (आई) और (डब्ल्यू) (II), धारा 162 (1) के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए, परिसर लाइसेंस में उल्लिखित मौजूदा शर्तों के अतिरिक्त 12.09.2009 दिनांकित आदेशों द्वारा कई शर्तें जोड़ीं।याचिकाकर्ताओं द्वारा डब्ल्यू. पी. संख्या 7962/2010 और संबंधित मामलों में कुछ शर्तों को चुनौती दी गई थी।हालाँकि, सुनवाई के चरण में, चुनौती निम्नलिखित शर्तों तक ही सीमित थीः

ग

डी.

ई.

(1) अनुज्ञप्तिधारक को अनुमति प्राप्त मंच पर उपस्थित रहने के लिए केवल चार महिला गायकों/कलाकारों और चार पुरुष गायकों/कलाकारों को रखने की अनुमति है।

च

(2) अनुमति प्राप्त मंच पर केवल आठ कलाकारों (चार पुरुष और चार महिलाएं) को उपस्थित रहने की अनुमति है।

3. उच्च न्यायालय के समक्ष, अपीलकर्ताओं ने तर्क दिया था कि कलाकारों की विशेष संख्या की पहचान या कलाकारों की संख्या पर कोई प्रतिबंध, चाहे वह पुरुष हो या महिला, का अधिनियम, 1951 या नियम, 1960 में कोई आधार नहीं है और यह भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 और अनुच्छेद 19 (1) (जी) का उल्लंघन करता है।

जी.

1 डब्ल्यू. पी. सं. 7962/2010 में दिनांक 6 मई 2011 और संबंधित मामले; साथ ही डब्ल्यू. पी. 2883/2012 में दिनांकित 19.12.2012 का निर्णय और आदेश, जिसने 6 मई 2012 के निर्णय में निर्णय का पालन किया था।

एच.

327

होटल प्रिया, एक स्वामित्व बनाम महाराष्ट्र राज्य और ओआरएस। [एस. रवींद्र भाट, जे.] ए.

क.

4. उच्च न्यायालय ने आयुक्त द्वारा लगाई गई शर्तों को चुनौती देते हुए कहा कि उन्हें लागू करने की शक्ति अधिनियम, 1951 के प्रावधानों और इसके तहत बनाए गए नियमों में पाई जा सकती है।यह भी माना गया कि आयुक्त को ऑर्केस्ट्रा बार के संचालन के लिए ऐसी शर्तें जारी करने की स्वतंत्रता दी गई थी जो आवश्यक थीं।इसलिए, उच्च न्यायालय ने रिट याचिकाओं को खारिज कर दिया, यह मानते हुए कि आयुक्त ने ऐसी शर्तें लागू करने की शक्ति के भीतर अच्छी तरह से काम किया।

दलों की प्रस्तुतियाँ

5. अपीलार्थियों के वकील श्री प्रसेनजीत केसवानी और श्री मनोज के. मिश्रा ने कहा कि प्रतिष्ठानों को केवल आठ कलाकारों और चार पुरुष और चार महिला कलाकारों को शामिल करने के लिए प्रतिबंधित करने वाली विवादित शर्तें संविधान के अनुच्छेद 14 और अनुच्छेद 19 (1) (जी) का उल्लंघन करती हैं।वकील ने तर्क दिया कि एक आर्केस्ट्रा संयोजन में कलाकारों के लिंग पर और प्रतिबंध के साथ संख्या पर प्रतिबंध कलाकारों के अधिकार के साथ-साथ आयोजकों, यानी बार या मनोरंजन स्थल के मालिकों के अधिकार के लिए प्रतिबंधात्मक है।यदि सभी पुरुष बैंड ऑर्केस्ट्रा या सभी महिला बैंड या ऑर्केस्ट्रा या उनमें से कोई भी अलग-अलग क्रमपरिवर्तन रखता है, तो संख्यात्मक प्रतिबंध का प्रभाव ऐसे बैंड की भागीदारी को पूरी तरह से प्रतिबंधित करने का होगा।यह पूरी तरह से अनुचित होगा और अनुच्छेद 19 (1) (जी) का उल्लंघन करेगा।यह इंगित किया गया है कि अनुच्छेद 19 (6) के तहत उचित प्रतिबंध खंडों में से कोई भी ऐसी शर्त को बचाने के लिए आकर्षित नहीं होगा।

ग

डी.

ई.

6. अपीलकर्ताओं ने प्रस्तुत किया कि शर्तों का उस कथित उद्देश्य के साथ कोई तर्क नहीं है जिसे प्राप्त करने की मांग की गई थी।यह बताया गया है कि एक कलात्मक प्रदर्शन जैसे ऑर्केस्ट्रा, या एकल बैंड प्रदर्शन में कलाकारों की संख्या और लिंग के संबंध में अलग-अलग क्रमपरिवर्तन और संयोजन हो सकते हैं।कलाकारों की रचना पूरी तरह से इस बात पर निर्भर करती है कि बैंड या समूह अपने व्यवसाय को कैसे व्यवस्थित करना चाहता है।यह इस बात पर निर्भर करेगा कि क्या खेला जाता है, इसे कितना लोकप्रिय या अच्छी तरह से प्राप्त किया जाता है, और कलाकारों में से किसकी लोकप्रियता है ऑर्केस्ट्रा बैंड में समान लिंग भागीदारी का एक सख्त और कठोर संख्यात्मक विभाजन, कोई तर्कसंगत आधार प्रदान नहीं करता है।वकील ने तर्क दिया कि किसी दी गई स्थिति में, एक वस्तु या टुकड़े में सभी पुरुष कलाकार, या सभी महिलाएं, या कुछ पुरुष और बहुसंख्यक महिला, या इसके विपरीत शामिल हो सकते हैं।इसमें ट्रांसजेंडर व्यक्तियों की भी भागीदारी हो सकती है।इस बात पर विवाद नहीं करते हुए कि किसी भी समय मंच पर आठ कलाकारों की समग्र सीमा उचित है, दोनों लिंगों के कलाकारों की संख्या को सीमित करने का आग्रह अनुचित और स्पष्ट रूप से मनमाना है।

च

जी.

विद्वान वकील ने पूर्ण अधिनियम का एक नियम या प्रावधान भी प्रस्तुत किया जिसमें ऐसी शर्त शामिल है जिसे उचित नहीं ठहराया जा सकता है और इसे मनमाने तरीके से खारिज कर दिया जाएगा।यह वर्गीकरण की परीक्षा में भी विफल हो जाएगा।7. वकील ने आग्रह किया कि यह कलाकारों की संख्या या लिंग पर प्रतिबंध की आवश्यकता वाले ऑर्केस्ट्रा प्रदर्शन को नियंत्रित करने वाली लाइसेंस शर्तों की ओर से हानिकारक है।याचिकाकर्ताओं ने निर्णय का हवाला दिया

महाराष्ट्र राज्य में यह न्यायालय और ए. एन. आर. बनाम.इंडियन होटल एंड रेस्टोरेंट एसोसिएशन और अन्य। 2 (इसके बाद (आई. एच. आर. ए.-I) और भारतीय होटल और रेस्तरां संघ और ए. एन. आर. बनाम.महाराष्ट्र राज्य

& या (इसके बाद "आई. एच. आर. ए.-III") 3, और आग्रह करते हैं कि यह अदालत उन फैसलों में सार्वजनिक नैतिकता (डांस बार पर प्रतिबंध) के तर्क को खारिज करते हुए

ग

राज्य ने यह भी फैसला सुनाया कि "सलाखों में नृत्य को अतिरिक्त वाणिज्य नहीं माना जा सकता है।"

8. अपीलकर्ताओं का कहना है कि धारा 33 (1) (डब्ल्यू), (डब्ल्यू) (आई) और (डब्ल्यू) (आई) के तहत पुलिस आयुक्त को सार्वजनिक मनोरंजन या मनोरंजन के स्थानों को लाइसेंस या नियंत्रित करने के लिए नियम बनाने का अधिकार है और सार्वजनिक व्यवस्था, शालीनता या नैतिकता के हित में या आम जनता के हित में, संगीत, नृत्य, नकल या सार्वजनिक मनोरंजन के लिए किसी अन्य प्रदर्शन के लिए लाइसेंस या नियंत्रण से संबंधित मामलों के संबंध में नियम बनाने का भी अधिकार है।वे प्रावधान सार्वजनिक व्यवस्था, शालीनता या नैतिकता के हित में या आम जनता के हित में कलाकारों के रोजगार और ऐसे प्रदर्शनों में कलाकारों और दर्शकों के आचरण को विनियमित करने के लिए नियम बनाने का भी अधिकार देते हैं।आयुक्त की शक्तियां चुनौती के दायरे में नहीं हैं।हालाँकि अपीलकर्ता आग्रह करते हैं कि उन प्रावधानों को पढ़ने पर, यह स्पष्ट है कि लाइसेंस और नियंत्रण केवल नियमों या आदेशों के माध्यम से हो सकता है।भले ही आयुक्त के पास शक्तियां हों, लेकिन ऐसी शक्तियों का प्रयोग धारा 33 (2) (ii) और धारा 33 (6) के तहत किया जाना चाहिए।धारा 33 (2) (ii) के तहत, उप-धारा 1 के खंडों [खंड (ए) और (सी) को छोड़कर] के तहत नियमों को बनाने, बदलने या रद्द करने की शक्ति उस सरकार की पूर्व मंजूरी के अधीन है; और धारा 33 (6) के तहत-नियमों में परिवर्तन का पूर्व प्रकाशन अनिवार्य है।इसलिए, लाइसेंस और नियंत्रण केवल नियमों द्वारा प्राप्त किया जा सकता है न कि कार्यकारी निर्देशों/निर्णयों द्वारा।

डी.

ई.

च

जी.

9. यह तर्क दिया जाता है कि आयुक्तों की शक्तियां नियम, 1960 के नियम 108,108 ए, 109,118,120,121,122, फॉर्म-डी और फॉर्म-ई द्वारा शासित होती हैं।अपीलार्थियों का तर्क है कि नियम, 1960 का नियम 108-ए, -

2 (2013) 8 एससीसी 519। 3 (2019) 3 एससीसी 429।

होटल प्रिया, ए प्रोपराइटरशिप बनाम महाराष्ट्र राज्य और ओआरएस। [एस. रवींद्र भाट, जे.] ए.

क.

कलाकारों की संख्या या ऐसे कलाकारों के लिंग पर प्रतिबंध शामिल नहीं है जिन्हें ऑर्केस्ट्रा प्रदर्शनों में प्रतिष्ठानों द्वारा लगाया जा सकता है।इसके अलावा, धारा 108 ए, 120 और 122 के तहत लाइसेंस देने की शर्तों ने महिलाओं की गरिमा, सार्वजनिक व्यवस्था और सार्वजनिक नैतिकता की रक्षा के लिए जनहित में मानदंडों को पहले ही लागू कर दिया है।आई. एच. आर. ए.-1 में इस अदालत ने इन नियमों पर विचार करते हुए कहा कि यह वैधानिक व्यवस्था महिलाओं की गरिमा की रक्षा के लिए पर्याप्त है। (पारस 127,128,129,130,131,132)।यह भी प्रस्तुत किया जाता है कि अधिनियम की धारा 162 आयुक्त को कोई भी शर्त लागू करने का अधिकार नहीं देती है, यह केवल यह परिकल्पना करती है कि दिया गया लाइसेंस उन शर्तों और प्रतिबंधों को निर्दिष्ट करेगा जिनके अधीन लाइसेंस दिया गया है।

ग

10. नियम 109 पर चर्चा करते हुए, अपीलार्थी प्रस्तुत करते हैं कि यदि अनुज्ञप्ति प्राधिकरण को यह समझने की अनुमति दी जाती है कि नियम 109 आयुक्त को अपने विवेक का प्रयोग करते हुए किसी भी प्रकार की शर्त लगाने का अधिकार देता है, तो ऐसी शक्ति अत्यधिक प्रत्यायोजन के दुष्प्रभाव से प्रभावित होगी।यह नियम अनुच्छेद 19 (1) (ए) और 19 (1) (जी) के तहत दिए गए मौलिक अधिकारों में कटौती नहीं कर सकता है, क्योंकि उक्त नियम के तहत लगाई गई शर्तें कार्यकारी निर्देश बनी हुई हैं, वे मौलिक अधिकारों के लाभ में कटौती नहीं कर सकते हैं क्योंकि कार्यकारी निर्देश अनुच्छेद 13 (3) (ए) के अर्थ के भीतर और अनुच्छेद 19 (6) के उद्देश्य के लिए कानून नहीं हैं।रिलायंस को बिजोए में इस अदालत के फैसलों पर रखा गया है

डी.

इमैनुएल और ओआरएस. वी.केरल राज्य और अन्य 4 और भारत संघ बनाम

ई.

नवीन जिंदल 5.इसलिए, कलाकारों की संख्या और उनके लिंग पर प्रतिबंध लगाने का कानून में कोई आधार नहीं है।

11. संख्यात्मक प्रतिबंधों को लागू करने को सही ठहराने के लिए राज्य द्वारा दिए गए तर्क पर हमला करते हुए कि वे आम जनता के हित में हैं; सार्वजनिक नैतिकता के व्यापक हितों का संरक्षण करते हैं, महिलाओं की रक्षा करते हैं और उनकी कार्य स्थितियों में सुधार करते हैं ताकि ऑर्केस्ट्रा बार स्थिति का लाभ न उठा सकें और महिला कलाकारों और वेट्रेस का शोषण न कर सकें, अपीलकर्ताओं का कहना है कि तर्क का वास्तव में कोई आधार नहीं है।भले ही उन्हें उच्च न्यायालय द्वारा स्वीकार कर लिया गया था, लेकिन आई. एच. आर. ए.-I में इस न्यायालय के फैसले के आधार पर, यह तर्क अब स्वीकार्य नहीं है।आई. एच. आर. ए.-I में, अधिनियम, 1951 की धारा 33 ए और 33 बी, जिसने शराब के बारों में नृत्य पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया था, लेकिन उन्हें क्लबों और तीन सितारा होटलों और उच्च प्रतिष्ठानों में अनुमति दी थी, जारी थी।इस अदालत ने माना कि इस तरह के प्रावधान भेदभावपूर्ण हैं और इस प्रकार उल्लंघन करते हैं

च

जी.

4 (1986) 3 एससीसी 615। 5 (2004) 2 एससीसी 510।

एच.

330

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2022] 16 एस सी आर।

अनुच्छेद 14, और यह कि शराब की सलाखों में नृत्य पर पूर्ण प्रतिबंध संविधान के 19 (6) के तहत एक उचित प्रतिबंध के रूप में उचित नहीं था।यह प्रस्तुत किया जाता है कि वही तर्क वर्तमान मामले में लागू होगा क्योंकि कलाकारों की संख्या पर प्रतिबंध कई कलाकारों को बाहर रखता है जो अन्यथा एक बैंड में शामिल होने के हकदार हो सकते हैं।यह कलाकारों के व्यवसाय और व्यवसाय को विनियमित करता है और इस मायने में, उन्हें यह सुनिश्चित करके एक असमान बोझ उठाना पड़ता है कि महाराष्ट्र के सभी बारों में, बैंड में किसी भी लिंग से संबंधित कलाकारों की एक निश्चित संख्या न हो।इसलिए, कलाकारों की संख्या को एक निश्चित लिंग तक सीमित करने का कोई तर्कसंगत आधार नहीं है, यह अत्यधिक है और इसलिए अनुचित है।

ग

12. इसके अलावा, राज्य के इस तर्क से निपटने के लिए कि सार्वजनिक नैतिकता की सुरक्षा के हित में प्रतिबंध आवश्यक हैं, यह बताया गया कि वही निर्णय इस पहलू से व्यापक रूप से निपटते हैं।इसके अतिरिक्त, कि समाज में नैतिकता के मानक समय के साथ बदलते हैं, इस प्रकार एक विशेष गतिविधि जिसे एक समय में अनैतिक माना जाता है, वह बाद में नहीं हो सकती है। अदालत नृत्य प्रदर्शन से निपट रही थी और उसने कहा कि नृत्य के गरिमापूर्ण रूप सामाजिक रूप से स्वीकार्य हैं और कोई भी अपवाद नहीं ले सकता है।इस बात पर जोर दिया गया कि एक ऐसी प्रथा जो सामाजिक मानकों द्वारा अनैतिक नहीं हो सकती है, उसे नैतिकता की अपनी धारणा के साथ राज्य द्वारा समाज पर अनैतिक नहीं माना जा सकता है और इस तरह सामाजिक नियंत्रण का प्रयोग किया जा सकता है।इसके अलावा, इस तरह के किसी भी कानून को अदालत में भी संवैधानिक प्रावधानों को पारित करना पड़ता है।इसलिए यह तर्क दिया जाता है कि चुनौती में शर्त द्वारा लगाए गए प्रतिबंध को इस आधार पर उचित नहीं ठहराया जा सकता है कि यह निषिद्ध गतिविधि को रोकने का प्रयास करता है और सार्वजनिक नैतिकता के लिए हानिकारक है।

डी.

ई.

च

13. विद्वान वकील ने आई. एच. आर. ए.-III के फैसले पर बहुत अधिक भरोसा किया, जिसने होटल, रेस्तरां और बार रूम में अश्लील नृत्य के निषेध और महिलाओं की गरिमा का संरक्षण (उसमें काम करना) अधिनियम, 2016 (2016 का अधिनियम) को रद्द कर दिया था।वकील द्वारा यह इंगित किया गया कि समझदार भेदभाव के आधार पर उन प्रावधानों को सही ठहराने के लिए राज्य का तर्क और यह कि ऐसे प्रतिष्ठानों में प्रदर्शन करने वाली महिलाएं वंचित पृष्ठभूमि की हैं और तस्करी के प्रति संवेदनशील हैं या बार नृत्य करने के लिए मजबूर हैं, जिसके प्रति वे अन्यथा इच्छुक नहीं हैं, अनुचित माना गया।यह प्रस्तुत किया जाता है कि इसी तरह, वर्तमान मामले में आरोपित प्रतिबंध, किसी भी तरह से पुलिस अधिनियम के उद्देश्यों और कारणों के कथन को आगे नहीं बढ़ाते हैं। ए पर शायद ही कोई सामग्री रखी गई थी।

जी.

एच.

331

होटल प्रिया, ए प्रोपराइटरशिप बनाम महाराष्ट्र राज्य और ओआरएस। [एस. रवींद्र भाट, जे.] ए.

यह दिखाने के लिए रिकॉर्ड करें कि कैसे संख्यात्मक प्रतिबंध ने राज्य के मामले को आगे बढ़ाया कि सार्वजनिक व्यवस्था हासिल की गई है।

14. श्री सचिन पाटिल ने प्रतिवादी की ओर से बहस करते हुए आग्रह किया कि कानून के इतिहास से पता चलता है कि ऑर्केस्ट्रा बार डांस बार का एक नया रूप है जहां वही महिलाएं जो पहले डांस बार में कार्यरत थीं, अब ऑर्केस्ट्रा कलाकारों के रूप में प्रदर्शन करती हैं।ये स्थान महिलाओं को अश्लील नृत्य करने के लिए मजबूर करके उनका शोषण करते हैं और ग्राहकों के साथ यौन गतिविधियों में भी संलग्न होते हैं।महिला कर्मचारियों/कलाकारों की सुरक्षा और आम जनता के हित में अनुच्छेद 15 (3) के तहत केवल चार महिलाओं को रखने की शर्त रखी गई है।

15. यह तर्क दिया गया कि सभी 254 प्रतिष्ठानों में आर्केस्ट्रा शो आयोजित किए जाते हैं और उनमें से केवल तीन (वर्तमान अपीलकर्ताओं) ने विवादित शर्तों को चुनौती दी है।इन तीनों प्रतिष्ठानों के खिलाफ कई आपराधिक मामले दर्ज किए गए हैं।इसके अलावा, वकील प्रस्तुत करता है कि उक्त शर्तों को किसी एक कलाकार या कलाकारों के संघ द्वारा चुनौती नहीं दी गई है।

ग

डी.

16. इसके बाद, प्रतिवादी प्रस्तुत करता है कि विवादित शर्तें अनुच्छेद 14 का उल्लंघन नहीं करती हैं।अनुच्छेद 14 उचित वर्गीकरण की अनुमति देता है जब तक कि यह बोधगम्य अंतर पर आधारित है और इस तरह के अंतर का कानून द्वारा प्राप्त किए जाने वाले उद्देश्य या कार्यकारी उपाय के साथ उचित संबंध है।अनुच्छेद 15 (3) राज्य को महिलाओं के लिए विशेष प्रावधान करने की अनुमति देता है।अनुच्छेद 14 का उल्लंघन करने के लिए दो शर्तों को पूरा करना होगा।पहला, कि पीड़ित व्यक्ति के साथ दूसरों से अलग व्यवहार किया गया है और समान रूप से स्थित व्यक्तियों से भी अलग व्यवहार किया गया है; और दूसरा, इस तरह का व्यवहार बिना किसी तर्कसंगत आधार के और बिना किसी औचित्य के किया जाना चाहिए।वर्तमान मामले में, शर्तें सभी 254 प्रतिष्ठानों पर लागू होती हैं।ऐसा नहीं है कि कम संख्या में महिलाओं को अनुमति दी गई है या इसके विपरीत; सभी प्रतिष्ठानों को प्रत्येक प्रदर्शन में समान संख्या में महिलाओं को शामिल करने की अनुमति दी गई है।प्रतिबंध केवल महिलाओं के हितों की रक्षा और उनके शोषण को रोकने के लिए लागू किए गए हैं।यह प्रस्तुत किया जाता है कि कलाकारों के अलावा वाद्ययंत्रकार भी होते हैं।

ई.

च

जी.

17. प्रत्यर्थी द्वारा यह आग्रह किया जाता है कि डब्ल्यू. पी. सं. 793/2014, (भारतीय होटल और रेस्तरां संघों द्वारा दायर किया गया जिसमें अपीलकर्ता सदस्य हैं) में याचिकाकर्ता-संघ ने विस्तृत विचार-विमर्श के बाद नर्तकियों की संख्या के संबंध में शर्तों को स्वीकार कर लिया था।इस अदालत के दिनांकित 02.03.2016 आदेश का संदर्भ दिया गया है।

एच.

लेखन याचिका (सी) सं. 793/2014।उस आदेश द्वारा, इस न्यायालय ने मंच के आयामों (10 फीट x 12 फीट) को मंजूरी दी, जिस पर प्रदर्शन को बरकरार रखा जा सकता है, और कलाकारों की कुल संख्या।

18. यह आग्रह किया जाता है कि ऑर्केस्ट्रा जो अन्य स्थानों जैसे सभागार, हॉल, मैदान आदि में प्रदर्शन करते हैं, वे अपीलकर्ताओं जैसे होटल बार प्रतिष्ठानों में ऑर्केस्ट्रा के प्रकार से पूरी तरह से अलग हैं।पूर्व के मामले में ऑर्केस्ट्रा या नाट्य कार्यक्रम एकमात्र कार्यक्रम होते हैं और जनता के सदस्य दर्शकों के रूप में उनमें भाग लेते हैं।अपीलार्थियों जैसे होटल बार प्रतिष्ठानों में, ऑर्केस्ट्रा प्रदर्शन केवल वहां परोसी जाने वाली शराब के सहायक होते हैं।इस तरह के कार्यक्रम ऑर्केस्ट्रा या संगीत समूहों के सार्वजनिक प्रदर्शन की तरह पेशेवर नहीं होते हैं।ऑर्केस्ट्रा के लिए प्रदर्शन करने वाले कलाकारों के बहाने इन प्रतिष्ठानों को वास्तव में वेट्रेस या बार लड़कियों की आवश्यकता होती है जो प्रतिष्ठान के परिसर के भीतर ग्राहकों के साथ स्पष्ट गतिविधियों में शामिल होने के लिए जानी जाती हैं या जो ग्राहकों के साथ चली जाती हैं।इस तरह की गतिविधियों से उत्पन्न लाभ, लाइसेंस धारकों को वेश्यावृत्ति के लिए संपर्क बिंदु के रूप में सार्वजनिक मनोरंजन के ऐसे स्थानों का दुरुपयोग करने के लिए प्रेरित करता है।यह आग्रह किया गया कि 2009 और मार्च 2013 के बीच, मुंबई में आई. पी. सी. की धारा 295 के तहत कुल 217 मामले और अनैतिक तस्करी (रोकथाम) अधिनियम, (पी. आई. टी. ए.) 1956 की धारा 1 के तहत 97 मामले दर्ज किए गए।

ग

डी.

19. प्रत्यर्थियों का कहना है कि उक्त शर्तें अनुच्छेद 19 (1) (जी) का उल्लंघन नहीं हैं क्योंकि आम जनता के हित में अनुच्छेद 19 (6) के तहत उचित प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं।इस तरह के प्रतिबंध महिलाओं की गरिमा की रक्षा करने और उनके शोषण को रोकने के लिए भी आवश्यक हैं; वे भारत के संविधान के अनुच्छेद 15 (3) द्वारा उचित और संरक्षित हैं।

ई.

20. प्रत्यर्थी राज्य आग्रह करता है कि बाद के निर्णय में

च

नियमों की आवश्यकता को पहचाना, जिस तरह के नियमों को चुनौती दी गई है।इसलिए, वर्तमान विवादित शर्तें उचित हैं।

विश्लेषण और निष्कर्ष I. सांविधिक प्रावधान

जी.

21. अधिनियम, 1951 की धारा 2 (9) द्वारा "सार्वजनिक मनोरंजन के स्थान" को निम्नानुसार परिभाषित किया गया हैः

6 (2018) 4 एससीसी 372।

एच.

333

होटल प्रिया, ए प्रोपराइटरशिप बनाम महाराष्ट्र राज्य और ओआरएस। [एस. रवींद्र भाट, जे.] ए.

क.

“सार्वजनिक मनोरंजन का स्थान "से कोई भी स्थान अभिप्रेत है जहाँ संगीत, गायन, नृत्य, या कोई मोड़ या खेल, या उसे ले जाने का साधन प्रदान किया जाता है और जिसमें जनता को या तो पैसे के भुगतान पर या इस इरादे से प्रवेश दिया जाता है कि प्रवेश लेने वालों से धन एकत्र किया जा सकता है और इसमें एक रेस कोर्स, सर्कस, थिएटर, संगीत हॉल, बिलियर्ड रूम, बैगाटेल रूम, व्यायामशाला, बाड़ लगाने वाला स्कूल, स्विमिंग पूल या नृत्य हॉल शामिल हैं।

अधिनियम, 1951 की धारा 2 (10) "सार्वजनिक स्थान" को परिभाषित करती है।

मनोरंजन "इस प्रकार हैः“सार्वजनिक मनोरंजन स्थल "का अर्थ है आवास।बोर्डिंग और लॉजिंग-हाउस या आवासीय होटल, और इसमें कोई भी खाने का घर शामिल है जिसमें किसी भी प्रकार की शराब या नशीली दवाओं (जैसे कि एक सराय, एक शराब की दुकान, एक बीयर की दुकान या स्पिरिट, अरैक, ताड़ी, गांजा, भांग या अफीम की दुकान) की आपूर्ति की जाती है।

ग

डी.

अधिनियम, 1951 की धारा 33 नियम और विनियमन बनाने की शक्ति है; यह अन्य बातों के साथ-साथ इस प्रकार हैः

“ धारा 33।यातायात के नियम या विनियम बनाने और सार्वजनिक स्थान आदि पर व्यवस्था की प्रस्तुति के लिए शक्ति।

ई.

(1) इस उप-धारा में निर्दिष्ट किसी भी मामले के संबंध में आयुक्त, उक्त मामलों में से किसी के संबंध में जिला मजिस्ट्रेट (खंड [(ए), (बी), (डी) के तहत आने वाले मामलों को छोड़कर)।((घ), (ङ), (छ), (घ), (ट) और (यू)]) और पुलिस अधीक्षक इस उप-धारा के खंड (य) के साथ पठित उपरोक्त खंडों के तहत आने वाले मामलों के संबंध में, अपने संबंधित प्रभारों या इसके किसी भाग के तहत क्षेत्रों में, इस अधिनियम के लिए असंगत नियमों या आदेशों को बना, बदल या रद्द कर सकते हैं।

च

(डब्ल्यू) (i) सार्वजनिक मनोरंजन या मनोरंजन के स्थानों को लाइसेंस देना या नियंत्रित करना; (ii) रखने पर प्रतिबंध लगाना। आसपास के निवासियों या यात्रियों के लिए बाधा, असुविधा, झुंझलाहट, जोखिम, खतरे या क्षति को रोकने के लिए सार्वजनिक मनोरंजन या मनोरंजन या सभा के स्थानों का;

जी.

.....

एच.

((i) सार्वजनिक व्यवस्था की शालीनता या नैतिकता के हित में या आम जनता के हित में ऐसे अपवादों के साथ, जो निर्दिष्ट किए जा सकते हैं, संगीत, नृत्य, नकल या नाट्य या सार्वजनिक मनोरंजन के लिए अन्य प्रदर्शन, जिसमें मेला और तमसा शामिल हैं, को लाइसेंस देना या नियंत्रित करना;

((ख) लोक व्यवस्था, शालीनता या नैतिकता के हित में या आम जनता के हित में, कलाकारों के रोजगार और ऐसे प्रदर्शनों में कलाकारों और दर्शकों के आचरण को विनियमित करना;

धारा 33 (1) (2), अधिनियम, 1951 नियमों को बनाने, बदलने या रद्द करने में सक्षम बनाता है; यह अन्य बातों के साथ, निम्नानुसार हैः

ग

"धारा 33 (1)।

(2) (i) उप-धारा (1) के खंड (ए), (बी) और (सी) के तहत नियम बनाने, बदलने या रद्द करने की शक्ति राज्य सरकार के नियंत्रण के अधीन होगी।

डी.

((ii) उप-धारा (1) के शेष खंडों के तहत नियम बनाने, बदलने या रद्द करने की शक्ति उस सरकार की पूर्व मंजूरी के अधीन होगी।"

22. नियमों को बनाने, बदलने या रद्द करने की शक्ति (धारा 33 (2) के तहत) संबंधित इलाके में पिछले प्रकाशन की धारा 33 (6) की शर्त से सीमित है।धारा 162 (1) उन लाइसेंसों को अधिनियमित करती है और लिखित अनुमतियों को शर्तों आदि को निर्दिष्ट करना होता है; धारा 162 (2) लाइसेंसों या लिखित अनुमतियों को रद्द करने में सक्षम बनाती है।

ई.

23. उक्त परिसर के कामकाज के लिए आवश्यक लाइसेंस देने के लिए पूर्व शर्त के रूप में, आवेदकों को कई शर्तों को पूरा करना होगा जैसे 7:

च

(i) परिसर लाइसेंस के लिए किसी भी आवेदन के साथ साइट प्लान होगा जो किसी भी धार्मिक, शैक्षणिक संस्थान या अस्पताल से साइट की दूरी को दर्शाता है।

((ii) प्रस्तावित मनोरंजन स्थल और धार्मिक स्थल या अस्पताल या शैक्षणिक संस्थान के बीच की दूरी 75 मीटर से अधिक होगी।

जी.

((ग) प्रस्तावित मनोरंजन स्थल भीड़भाड़ वाले और घनी आबादी वाले क्षेत्र में स्थित नहीं होना चाहिए।

एच.

7 1960 के नियमों के नियम 108,109 और 120।

335

होटल प्रिया, ए प्रोपराइटरशिप बनाम महाराष्ट्र राज्य और ओआरएस। [एस. रवींद्र भाट, जे.] ए.

क.

((iv) प्रस्तावित स्थल 10 मीटर से अधिक चौड़ी सड़क पर स्थित होना चाहिए।

(v) प्रस्तावित मनोरंजन स्थल के मालिकों/भागीदारों को असामाजिक या ऐसी किसी गतिविधि के लिए गिरफ्तार या हिरासत में नहीं लिया जाना चाहिए या ऐसे किसी भी अपराध के लिए दोषी नहीं ठहराया जाना चाहिए।

(vi) वीडियो पार्लर में लगाई जाने वाली दो मशीनों के बीच की दूरी योजना में दिखाई देगी।

(vii) 75 मीटर के दायरे में सार्वजनिक मनोरंजन का ऐसा कोई स्थान मौजूद नहीं है।

(viii) लाइसेंस में उल्लिखित शर्तों का पालन उस अवधि के दौरान किया जाएगा जिसके लिए लाइसेंस दिया गया है और यदि किसी भी शर्त का उल्लंघन होता है, तो सामान्य प्रक्रिया का पालन करने के बाद लाइसेंस रद्द होने की संभावना है।

ग

24. उपरोक्त प्रावधान महिलाओं की गरिमा की रक्षा करने वाले नियमों के साथ पूरक हैं।बॉम्बे पुलिस अधिनियम, 1951 और विशेष रूप से धारा 33 (1) (डब्ल्यू) के प्रावधान लाइसेंस प्राधिकरण को नियम बनाने का अधिकार देते हैं।

डी.

25. मनोरंजन नियम, 1960 के नियम 122 और 123 में भी प्रदर्शन आयोजित करने के लिए प्रतिबंधात्मक शर्तें निर्धारित की गई हैं।इन प्रतिबंधों में भाषा की कोई भी अश्लीलता या अनुचितता शामिल है; पोशाक, नृत्य, गतिविधि या हाव-भाव की कोई भी अभद्रता; प्रदर्शन लाइसेंस के तहत इसी तरह की शर्तें और प्रतिबंध भी निर्धारित किए गए हैं; कोई भी प्रदर्शनी या विज्ञापन चाहे पोस्टर के माध्यम से या समाचार पत्रों में, नग्न या कम कपड़े पहने महिलाओं की तस्वीरें; उद्देश्य के लिए प्रदान किए गए स्थान के अलावा किसी अन्य स्थान पर कोई भी प्रदर्शन; दर्शकों के साथ कैबरे कलाकारों का कोई मिश्रण या स्पर्श द्वारा या दर्शकों के किसी भी सदस्य के साथ कोई शारीरिक संपर्क।

ई.

च

II. पिछला मुकदमा

26. यह अदालत शराबबंदी से संबंधित विवादों और महाराष्ट्र में प्रतिष्ठानों में प्रदर्शनों में महिलाओं की भागीदारी पर प्रतिबंध से अनजान नहीं है।पहला फैसलाःआई. एच. आर. ए.-I ने अधिनियम, 1951 में 14.8.2005 से प्रभावी धारा 33 ए और 33 बी की वैधता पर विचार किया।धारा 33 ए, पूरी तरह से, होल्डिंग को प्रतिबंधित करती है।

जी.

“भोजन गृह में किसी भी प्रकार या प्रकार के नृत्य का प्रदर्शन,

परमिट रूम या बीयर बार "।मौजूदा लाइसेंस भी रद्द कर दिए गए थे; इस तरह के प्रदर्शन करना एक अपराध बन गया।धारा 33 ख द्वारा (प्रस्तुत)

एच.

336

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2022] 16 एस सी आर।

2005 के संशोधन द्वारा) निषेध लागू नहीं था,

(क) राज्य में पर्यटन गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए केंद्र या राज्य सरकार की पर्यटन नीति; या (ख) राज्य सरकार, विशेष या सामान्य आदेश द्वारा, सांस्कृतिक गतिविधियों को ध्यान में रखते हुए, किसी नाटक थिएटर, सिनेमा थिएटर और सभागार; या स्पोर्ट्स क्लब या जिमखाना, जहां प्रवेश केवल उसके सदस्यों के लिए प्रतिबंधित है, या तीन सितारा या उससे ऊपर के होटल या प्रतिष्ठानों के किसी अन्य वर्ग में नृत्य प्रदर्शन आयोजित कर सकती है।"

27. दो प्रावधान (धारा 33 ए और 33 बी) बॉम्बे उच्च न्यायालय के समक्ष चुनौती का विषय थे, जिसने एक सामान्य निर्णय द्वारा उन्हें भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 और 19 (1) (जी) का उल्लंघन करने वाला माना।8 महाराष्ट्र राज्य ने अपील की; इस अदालत ने बॉम्बे उच्च न्यायालय (आई. एच. आर. ए.-I में) के दृष्टिकोण को बरकरार रखा।

ग

28. अब दूसरी पारी के लिए मंच तैयार कर लिया गया था, जैसा कि था।राज्य ने 26.05.2014 से प्रभावी नए प्रावधानों को लागू करते हुए अधिनियम, 1951 में संशोधन किया।जिसमें नए प्रतिबंध शामिल हैं।इंडियन होटल एंड रेस्टोरेंट एसोसिएशन ने एक रिट याचिका दायर करके इन संशोधनों को चुनौती दी।इस अदालत ने अपने तर्कपूर्ण आदेश द्वारा, आई. एच. आर. ए.-I को ध्यान में रखते हुए, विवादित प्रावधान (नई जोड़ी गई धारा 33 ए) के संचालन पर रोक लगा दी।उक्त आदेश

डी.

इंडियन होटल एंड रेस्टोरेंट एसोसिएशन बनाम महाराष्ट्र राज्य 10

(इसके बाद आई. एच. आर. ए.-II) ने कहा कि

ई.

“...हम अधिनियम की धारा 33-ए (1) के तहत निहित प्रावधानों के संचालन पर रोक लगाना उचित समझते हैं। हालाँकि, हम एक सवार को जोड़ते हैं कि नृत्य का कोई भी प्रदर्शन किसी भी तरह से किसी भी प्रकार की अश्लीलता को दूर से अभिव्यक्त नहीं करेगा।हम जल्दबाजी में यह स्पष्ट कर सकते हैं कि पहले के फैसले में, यह स्पष्ट रूप से कहा गया है कि अश्लील नृत्यों के माध्यम से महिलाओं की गरिमा के किसी भी उल्लंघन की रक्षा के लिए लाइसेंस प्राधिकरण के पास पर्याप्त शक्ति निहित है।"

च

29. महाराष्ट्र विधानसभा ने फिर से हस्तक्षेप किया; इस बार, एक और अधिनियम 11 द्वारा धारा 33 ए को निरस्त कर दिया गया।नतीजतन, इस अदालत के पास इसकी वैधता पर विचार करने का कोई अवसर नहीं था

जी.

8 महाराष्ट्र राज्य बनाम भारतीय होटल और रेस्तरां संघ के रूप में रिपोर्ट किए गए फैसले में,

2006 एस. सी. सी. ऑनलाइन बम 418। 9 डब्ल्यू. पी. सं. 793/2014। 10 (2015) 16 एससीसी 100।

11 2016 का महाराष्ट्र अधिनियम सं. 12।

एच.

337

होटल प्रिया, ए प्रोपराइटरशिप बनाम महाराष्ट्र राज्य और ओआरएस। [एस. रवींद्र भाट, जे.] ए.

क.

2014 में किए गए संशोधन।आई. एच. आर. ए.-II में रिट याचिका का निपटान दिनांक 30.08.2018 के आदेश द्वारा किया गया था।12

30. महाराष्ट्र विधान सभा ने 2014 के संशोधन (30.08.2016 से प्रभावी) को निरस्त करने वाले अधिनियम के माध्यम से 2016 का अधिनियम भी अधिनियमित किया।इंडियन होटल एंड रेस्टोरेंट एसोसिएशन ने एक बार फिर संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत इस अदालत का दरवाजा खटखटाया, शिकायत की कि अधिनियम, 2016 के प्रावधान असंवैधानिक थे, और आई. एच. आर. ए.-I को अधिनियमित किया गया था। इस अदालत ने आई. एच. आर. ए.-III में अपने विस्तृत फैसले में अधिनियम के कई प्रावधानों के साथ-साथ इसके तहत बनाए गए नियमों और प्रपत्रों आदि (नियमों के तहत) द्वारा लगाई गई शर्तों को संविधान के अनुच्छेद 14 और 19 (1) (जी) का उल्लंघन माना।

ग

III. चर्चा.

31. उपरोक्त चर्चा से यह स्पष्ट है कि राज्य की विनियमन करने की शक्ति विवादित नहीं है।हालांकि, मुद्दा यह है कि क्या लाइसेंस की शर्तों के माध्यम से लगाए गए प्रतिबंध अस्वीकार्य हैं क्योंकि वे नियमों का हिस्सा नहीं हैं या कानून के किसी भी प्रावधान में अधिनियमित नहीं किए गए हैं, और क्या शर्तें भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 और 19 (1) (जी) का उल्लंघन करती हैं।

डी.

32. इस अदालत के पिछले फैसलों में, यह मुद्दा तय किया गया था कि क्या सलाखों में नृत्य पर पूर्ण प्रतिबंध उचित था, और क्या यह भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 और 19 (1) (जी) का उल्लंघन करता है।आई. एच. आर. ए.-I में मुद्दा अधिनियम, 1951 की धारा 33 ए और 33 बी की वैधता का था।इस अदालत ने राज्य की दो दलीलों को खारिज कर दिया:एक, कि उन प्रतिष्ठानों के बीच एक उचित वर्गीकरण था जो तीन सितारा और उससे अधिक रेटिंग वाले होटल और रेस्तरां थे, जहां बार में नृत्य की अनुमति थी, और अन्य, उनके संभावित ग्राहकों की प्रकृति के कारण; और दो, कि नर्तकियों के रूप में प्रदर्शन करने वाली महिलाएं, वंचित पृष्ठभूमि से थीं और शोषण के लिए अतिसंवेदनशील थीं।यह आई. एच. आर. ए.-1 इंटर में आयोजित किया गया था।

ई.

च

आलिया, कि:“119. तथाकथित समझ में आने वाले अंतर का अगला औचित्य इस आधार पर है कि प्रतिबंधित प्रतिष्ठान में प्रदर्शन करने वाली महिलाएं बहुत कमजोर होती हैं।वे बेहद वंचित पृष्ठभूमि से आते हैं।अपीलार्थियों के अनुसार, उनमें से अधिकांश को बार नृत्य में तस्करी की जाती है।हम उपरोक्त निवेदन को स्वीकार करने में असमर्थ हैं।उद्देश्यों और कारणों के अवलोकन से पता चलेगा कि विवादित कानून

जी.

12 आदेश 2018 एस. सी. सी. ऑनलाइन (एस. सी.) 3127 के रूप में सूचित किया गया है।

एच.

338 सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट [2022] 16 एस. सी. आर.

एक परिकल्पना पर आगे बढ़ें कि विभिन्न डांस बार का उपयोग अपराधियों के मिलने के स्थानों और लड़कियों को लेने के स्थानों के रूप में किया जा रहा है।लेकिन उद्देश्य और कारण सरकार को प्रस्तुत किए गए किसी भी सबूत के बारे में कुछ नहीं कहते हैं कि ये डांस बार महिलाओं की तस्करी में सक्रिय रूप से शामिल हैं।वास्तव में, महिलाओं की तस्करी के संबंध में इस याचिका को पहली बार उच्च न्यायालय के समक्ष दायर हलफनामे में पेश किया गया था।ऐसा लगता है कि उपरोक्त याचिका केवल उन रिपोर्टों के आधार पर उठाई गई थी जो प्रतिबंध लगाए जाने के बाद प्रस्तुत की गई थीं।हम पहले विभिन्न रिपोर्टों के उद्धरणों को देख चुके हैं।हमारी राय में, इस तरह के अलग-अलग उदाहरण धारा 33-ए के तहत आने वाले डांस बार का तस्करी से संबंध स्थापित करने के लिए पर्याप्त नहीं होंगे।इसलिए हम अपीलार्थियों की इस दलील को खारिज करते हैं कि प्रतिबंध कमजोर महिलाओं की सुरक्षा के लिए लगाया गया है।

ग

120. अपीलार्थियों के लिए विद्वान वकील द्वारा दिया गया अगला औचित्य उस नुकसान की मात्रा के आधार पर है जो प्रतिबंधित प्रतिष्ठानों और आसपास के क्षेत्रों में वातावरण को हो रहा है।निस्संदेह राम कृष्ण डालमिया मामले (ए. आई. आर. 1958 एस. सी. 538) में इस न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय के अनुसार, विधायिका नुकसान की मात्रा को पहचानने के लिए स्वतंत्र है और अपने प्रतिबंधों को उन मामलों तक सीमित कर सकती है जहां आवश्यकता को स्पष्ट माना जाता है।हम पैट्सोन मामले में अमेरिकी अदालत की टिप्पणियों से भी सहमत हैं [58 एल एड 539:232 यू. एस. 138 (1914)] कि राज्य संभावित दुरुपयोग के पूरे क्षेत्र को शामिल किए बिना बुराई के खिलाफ अपने कानून को निर्देशित कर सकता है क्योंकि यह वास्तव में मौजूद है, लेकिन इस तरह के निष्कर्ष पर या तो अधिकांश आबादी द्वारा साझा की गई सामान्य सहमति के आधार पर या अनुभवजन्य आंकड़ों के आधार पर पहुंचना होगा।हमारी राय में, राज्य के पास न तो यह निष्कर्ष निकालने के लिए अनुभवजन्य डेटा था कि निषिद्ध प्रतिष्ठान में नृत्य अनिवार्य रूप से सार्वजनिक नैतिकता की भ्रष्टता और भ्रष्टाचार की ओर ले जाता है और न ही इस बात पर आम सहमति थी कि ऐसी स्थिति थी।उच्च न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गई तीन रिपोर्टों ने वास्तव में अलग-अलग दृष्टिकोण प्रस्तुत किए हैं।इस प्रकार, पैट्सोन [58 एल एड 539 में की गई टिप्पणियाँ:232 यू. एस. 138 (1914)] अपीलार्थी के लिए कोई सहायक नहीं हैं।हम मोहम्मद में इस न्यायालय द्वारा की गई टिप्पणियों से भी अवगत हैं।हनीफ कुरेशी [ए. आई. आर. 1958 एस. सी. 731], ए.

डी.

ई.

च

जी.

एच.

339

होटल प्रिया, एक स्वामित्व बनाम महाराष्ट्र राज्य और ओआरएस। [एस. रवींद्र भाट, जे.] ए.

जिसमें यह अभिनिर्धारित किया गया था कि यह धारणा है कि विधायिका अपने लोगों की जरूरतों को समझती है और उनकी सराहना करती है और इसके कानून अनुभव द्वारा प्रकट की गई समस्याओं के लिए निर्देशित हैं और इसके भेदभाव पर्याप्त आधारों पर आधारित हैं।वर्तमान मामले में, अपीलार्थी किसी भी अनुभव का कोई विवरण देने में विफल रहा है जो विशुद्ध रूप से किसी प्रतिष्ठान के वर्ग या स्थान के आधार पर इस तरह के घोर भेदभाव को उचित ठहराए।

121. हमारी राय है कि राज्य आसपास की परिस्थितियों या भेद्यता के आधार पर छूट प्राप्त प्रतिष्ठानों और निषिद्ध प्रतिष्ठानों के बीच वर्गीकरण को सही ठहराने में विफल रहा है।निस्संदेह, नुकसान की मात्रा को मापने और उचित वर्गीकरण करने के लिए विधायिका सबसे अच्छी न्यायाधीश है, लेकिन जब इस तरह के वर्गीकरण को चुनौती दी जाती है तो राज्य स्पष्ट निष्कर्षों के कारणों का खुलासा करने के लिए कर्तव्यबद्ध होता है।हमारी राय में, वर्तमान मामले में, कानून एक अस्वीकार्य धारणा पर आधारित है कि तथाकथित अभिजात वर्ग यानी अमीर और प्रसिद्ध लोगों के पास अपने समकक्षों की तुलना में शालीनता, नैतिकता या चरित्र की ताकत के उच्च मानक होंगे, जिन्हें डांस बार में निम्न गुणवत्ता की कम सुविधाओं के साथ खुद को संतुष्ट करना पड़ता है।इस तरह की धारणा भारत के नागरिकों को "व्यक्ति की स्थिति और अवसर और गरिमा की समानता" की सुरक्षा के लिए संविधान की प्रस्तावना में संकल्प के लिए घृणित है।राज्य सरकार ने अनुमान लगाया कि तीन सितारों से कम सुविधाओं वाले प्रतिष्ठानों में एक समान नृत्य का प्रदर्शन महिलाओं की गरिमा के लिए अपमानजनक होगा और इससे सार्वजनिक नैतिकता या नैतिकता को नुकसान, भ्रष्ट या नुकसान होने की संभावना होगी; लेकिन छूट प्राप्त प्रतिष्ठानों में ऐसा नहीं होगा।ये एक पुराने युग की गलत धारणाएँ हैं जिन्हें पुनर्जीवित नहीं किया जाना चाहिए।

ग

डी.

ई.

च

XXXXX

XXXXX

XXXXX

XXXXX

जी.

123. हमारी राय में, ऐसी गतिविधियाँ जो अश्लील हैं या जिनके इस तरह के अनैतिक प्रभावों के लिए खुले दिमाग वाले लोगों को भ्रष्ट और भ्रष्ट करने की संभावना है, उन्हें इस आधार पर अलग नहीं किया जा सकता है कि वे पांच सितारा होटलों में प्रदर्शन कर रहे हैं या डांस बार में।इस न्यायालय की न्यायिक अंतरात्मा इस धारणा को विश्वास नहीं देगी कि उच्च नैतिकता और सभ्य

एच.

व्यवहार उच्च वर्गों का अनन्य क्षेत्र है, जबकि अश्लीलता और भ्रष्टता निम्न वर्गों तक सीमित है।इस तरह के निंदनीय अनुमान के आधार पर किया गया कोई भी वर्गीकरण पूरी तरह से असंवैधानिक और विशेष रूप से भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 के विपरीत होने के कारण रद्द किया जा सकता है।"

33. 1951 के अधिनियम और इसमें शामिल नियमों सहित मौजूदा कानूनी और नियामक व्यवस्था पर विचार करने के बाद निर्णय इस प्रकार समाप्त हुआः

“132. बॉम्बे पुलिस अधिनियम, 1951 के तहत नियम सार्वजनिक सुरक्षा और सामाजिक कल्याण के हित में और महिलाओं की गरिमा की रक्षा के साथ-साथ महिलाओं के शोषण को रोकने के लिए बनाए गए हैं।राज्य द्वारा अभिलेख पर यह दिखाने के लिए कोई सामग्री नहीं रखी गई है कि प्रस्तावना में दर्ज निराधार निष्कर्षों के साथ-साथ उद्देश्यों और कारणों के विवरण को छोड़कर मौजूदा कानूनों के ढांचे के भीतर स्थिति से निपटना संभव नहीं था।[गुजरात राज्य बनाम मिर्जापुर मोती कुरैशी कसाब

जमात [(2005) 8 एस. सी. सी. 534:ए. आई. आर. 2006 एस. सी. 212] जिसमें यह अभिनिर्धारित किया गया है किः(एस. सी. सी. पी. 573, पैरा 75) निषेध की मात्रा में प्रतिबंध या प्रतिबंध की तर्कसंगतता का न्याय करने का मानक समान रहता है, सिवाय इसके कि कुल निषेध को इस परीक्षण को भी संतुष्ट करना चाहिए कि एक कम विकल्प अपर्याप्त होगा।]बॉम्बे पुलिस अधिनियम की धारा 33 (1) (डब्ल्यू) के तहत बनाए गए विनियम, विशेष रूप से विनियम 238 और 242 में यह प्रावधान है कि लाइसेंस प्राधिकरण लाइसेंस की शर्तों के किसी भी उल्लंघन के लिए लाइसेंस को निलंबित या रद्द कर सकता है।विनियम 241 अनुज्ञप्ति प्राधिकरण या उप-निरीक्षक के पद से नीचे के किसी भी अधिकृत पुलिस अधिकारी को, यदि प्रदर्शन आपत्तिजनक पाया जाता है तो किसी भी प्रदर्शन को तुरंत रोकने का निर्देश देने का अधिकार देता है।बॉम्बे पुलिस अधिनियम की धारा 162 एक सक्षम प्राधिकारी/पुलिस आयुक्त/जिला मजिस्ट्रेट को अपनी शर्तों के उल्लंघन के लिए लाइसेंस को निलंबित या रद्द करने का अधिकार देती है।इस प्रकार, अश्लील नृत्यों के माध्यम से महिलाओं की गरिमा के किसी भी कथित उल्लंघन की रक्षा के लिए लाइसेंस प्राधिकरण के पास पर्याप्त शक्ति निहित है।"

ग

डी.

ई.

च

जी.

34. इसी मुद्दे की जांच करने का अगला निर्णय आई. एच. आर. ए.-III था। 2016 के अधिनियम में बार में नृत्य को पूरी तरह से प्रतिबंधित करने की मांग की गई थी।यह अदालत ए

एच.

341

होटल प्रिया, ए प्रोपराइटरशिप बनाम महाराष्ट्र राज्य और ओआरएस। [एस. रवींद्र भाट, जे.] ए.

पंजाब राज्य बनाम देवांस मॉडर्न ब्रुअरीज लिमिटेड और ए. एन. आर. 13, में उद्धृत

इस तर्क का संदर्भ कि सार्वजनिक नैतिकता को ध्यान में रखते हुए आक्षेपित विनियम आवश्यक थे।अदालत ने देवांस मामले में कहा था किः

“48. कानून द्वारा शासित किसी वस्तु में लेनदेन को स्वाभाविक रूप से हानिकारक और हानिकारक नहीं कहा जा सकता है। एक समाज किसी व्यवसाय की निंदा नहीं कर सकता है और न ही इस संबंध में कोई धारणा मौजूद है यदि इस तरह के व्यवसाय को उसके लिए सक्षम विधायिका द्वारा बनाए गए वैधानिक अधिनियमों के तहत किए जाने की अनुमति है।सभ्य समाज की नैतिकता या अन्यथा के बारे में अंतिम मध्यस्थ होने के नाते विधायिका को यह भी बताना होगा कि कौन सा अनुच्छेद आपराधिक प्रकृति का होगा।इस मामले में समाज की कोई भूमिका नहीं होगी।समाज की उस मामले में राय हो सकती है जिस पर अदालत में केवल सामान्य-कानून के अधिकार के तहत विचार किया जा सकता था, न कि जब अधिकार और दायित्व क्षेत्र में काम करने वाले कानूनों से बाहर निकलते हैं।आम जनता का स्वास्थ्य, सुरक्षा और कल्याण फिर से विधायिका के लिए विधायी अधिनियमों द्वारा परिभाषित करने और प्रतिबंधित करने या विनियमित करने का मामला हो सकता है।विनियामक कानून संविधान के अनुच्छेद 19 के खंड (6) के अनुरूप उन व्यवसायों से निपटने के लिए अधिनियमित किए जाते हैं जो स्वाभाविक रूप से हानिकारक और हानिकारक प्रकृति के होते हैं और इसके अलावा, आम जनता के स्वास्थ्य, सुरक्षा और कल्याण के संबंध में पर्याप्त उपाय किए जाने चाहिए।अदालतें किसी कानून की व्याख्या करते समय ऐसी व्याख्या का सहारा नहीं लेंगी जिसके तहत किसी व्यक्ति को अपराध करने वाला कहा जा सकता है, हालांकि वैधानिक अधिनियम के संदर्भ में यह अपराध नहीं है।किसी व्यक्ति द्वारा किसी वस्तु का लेन-देन करना अपराध है या नहीं, यह केवल वैधानिक अधिनियम का विषय हो सकता है।"

ग

डी.

ई.

च

35. आई. एच. आर. ए.-III में, इस अदालत ने आई. एच. आर. ए.-I में पिछले फैसले पर भरोसा किया और उसका पालन किया, जिसमें सार्वजनिक नैतिकता को नुकसान पहुंचाने के बारे में तर्क दिया गया था, और यह भी कि यह महिलाओं की गरिमा को आहत करता हैः

जी.

"...सार्वजनिक नैतिकता को चोटःअदालत ने इस तर्क को स्पष्ट रूप से खारिज कर दिया कि डांस बार जनता के मनोबल को प्रभावित करते हैं या नुकसान पहुंचाते हैं।प्रासंगिक भाग में, इस न्यायालय ने कहा किः

13 (2004) 11 एससीसी 26.

एच.

342 सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट [2022] 16 एस. सी. आर.

"120. .....हमारी राय में, राज्य के पास न तो यह निष्कर्ष निकालने के लिए अनुभवजन्य डेटा था कि निषिद्ध प्रतिष्ठान में नृत्य अनिवार्य रूप से सार्वजनिक नैतिकता की भ्रष्टता और भ्रष्टाचार की ओर ले जाता है और न ही इस बात पर आम सहमति थी कि ऐसी स्थिति थी।राज्य सरकार ने तर्क दिया कि ऐसे प्रतिष्ठानों में नृत्य प्रदर्शन महिलाओं की गरिमा को प्रभावित करते हैं और सार्वजनिक नैतिकता में भ्रष्टाचार की ओर ले जाते हैं।इस प्रकार, प्रत्यर्थी ने उचित ठहराया कि निषेध संविधान के अनुच्छेद 19 (6) के तहत "आम जनता के हित में" आवश्यक एक उचित प्रतिबंध है।इस न्यायालय ने उक्त तर्क को स्पष्ट रूप से खारिज कर दिया और कहा कि प्रतिवादी "यह स्थापित करने में विफल रहा कि प्रतिबंध उचित है या यह आम जनता के हित में है।"इस न्यायालय ने आगे कहा कि निषेध इस तरह के प्रतिबंध और मौजूदा नियामक ढांचे की अपर्याप्तता को सही ठहराने के लिए 'प्रत्यक्ष और अपरिहार्य प्रभाव' के सिद्धांत को संतुष्ट करने में विफल रहता है।"

ग

डी.

36. अदालत ने स्पष्ट किया कि यदि कोई भी प्रदर्शन अश्लीलता के बराबर है, तो यह कानून (भारतीय दंड संहिता की धारा 295 और इसके अलावा, 2016 के अधिनियम की धारा 8 (2)) के तहत दंडनीय होगा।इसने यह भी देखा कि "अश्लीलता" शब्द कानून के लिए जाना जाता है।इसके अलावा, कोई भी परिसर जो अश्लील शो की अनुमति देता था, उसका लाइसेंस खोने का जोखिम थाः

ई.

"हालाँकि, यदि लाइसेंस प्राप्त किया जाता है, तो इसका मतलब यह नहीं होगा कि उस स्थान का उपयोग अश्लील नृत्य प्रदर्शनों के लिए या किसी भी अनैतिक उद्देश्य के लिए कामकाजी महिलाओं का शोषण करने के लिए किया जा सकता है।ये ऐसे कार्य हैं जिन्हें उप-धारा (2) के तहत दंडनीय बनाया गया है।इस तरह से, धारा 8 (2) के तहत अपराध आई. पी. सी. की धारा 295 में निर्धारित अपराध से कुछ अलग है।

च

अदालत ने धारा 8 (2) की चुनौती को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि किसी अधिनियम के संबंध में उच्च दंड (3 साल) का प्रावधान जो धारा 294 के तहत एक अपराध है, उचित था।

जी.

37. अदालत, आई. एच. आर. ए.-III में तब उन शर्तों की चुनौती पर विचार करने के लिए आगे बढ़ी, जो कलाकारों पर मुद्रा नोट और सिक्के फेंकने या उन पर बौछार करने पर प्रतिबंध लगाती थीं; इस शर्त के लिए यह भी आवश्यक था कि कलाकारों को दी जाने वाली किसी भी टिप को प्रतिष्ठान के बिल में शामिल किया जाना चाहिए।अदालत ने माना कि पैसे फेंकना या बौछार करना ए था

एच.

343

होटल प्रिया, एक स्वामित्व बनाम महाराष्ट्र राज्य और ओआरएस। [एस. रवींद्र भाट, जे.] ए.

यह एक वांछनीय प्रथा नहीं है; साथ ही, कलाकारों पर उनके लिए दिए गए सुझावों को छोड़ने के लिए लगाए जाने को अमान्य माना गया थाः

"हमारा मानना है कि जहां तक सिक्कों, मुद्रा नोटों आदि को फेंकने या वर्षा करने का संबंध है, यह प्रावधान पूरी तरह से उचित है क्योंकि इसका उद्देश्य किसी भी अप्रिय घटना को रोकना है क्योंकि उपरोक्त अधिनियम में अभद्रता की स्थिति पैदा करने की प्रवृत्ति है।इसलिए, जो भी पैसा, किसी भी नृत्य प्रदर्शन की कोई प्रशंसा करनी होती है, उसे ऐसे सिक्के आदि फेंके या बौछार किए बिना किया जा सकता है। हालाँकि, इस तरह के सुझाव देने में केवल उस स्थान के प्रशासन द्वारा उठाए जाने वाले बिलों में जोड़कर कोई औचित्य नहीं हो सकता है।इसके विपरीत, यदि ऐसा किया जाता है, तो जो व्यक्ति इस तरह की युक्तियों का सही प्राप्तकर्ता है, उसे अस्वीकार किया जा सकता है।इसके अलावा, राज्य टिपिंग का एक विशेष तरीका लागू नहीं कर सकता है क्योंकि यह पूरी तरह से एक ओर नियोक्ता और कलाकार और दूसरी ओर कलाकार और आगंतुक के बीच का मामला है। इसलिए, हम इस प्रावधान को बरकरार रखते हैं क्योंकि यह सिक्कों, मुद्रा नोटों या किसी भी वस्तु या किसी भी चीज़ को मंच पर फेंकने या बौछार करने से रोकता है जिसका मुद्रीकरण किया जा सकता है।हालाँकि, नर्तकियों को व्यक्तिगत रूप से नोट्स सौंपना अनुचित नहीं है।हम सुझावों को केवल बिलों में जोड़कर देने के प्रावधान को भी अलग करते हैं।"

ग

डी.

ई.

38. अन्य शर्तें, जैसे कि प्रतिष्ठानों को धार्मिक और शैक्षणिक संस्थानों से कम से कम एक किलोमीटर की दूरी पर स्थित होना चाहिए, उनकी संरचनाओं की सुरक्षा, इंजीनियरों द्वारा परिसर का निरीक्षण और अन्य नियामक शर्तों पर विचार किया गया।इनमें मंच का आकार, उसका क्षेत्रफल आदि शामिल थे। अदालत की राय थी कि इस तरह के नियम असाधारण थे।हालांकि, एक शर्त के संबंध में अदालत का निष्कर्ष यह था कि जिस क्षेत्र में प्रदर्शन आयोजित किए गए थे, वहां शराब नहीं परोसी जा सकती थी, वह यह थी कि ऐसी स्थिति अनुचित थीः

च

"भाग बी की शर्त संख्या 12 बार रूम में शराब परोसने का निर्देश देती है जहाँ नृत्यों का मंचन किया जाता है।यह पूरी तरह से अनुचित, अनुचित और मनमाना है।हमें ऐसा कोई कारण नजर नहीं आता कि ऐसी जगहों पर शराब क्यों नहीं परोसी जा सकती। ऐसा लगता है कि राज्य इस गलत धारणा के तहत नैतिक भावों से अधिक प्रभावित है कि शराब पीने के बाद व्यक्ति नर्तकियों के साथ दुर्व्यवहार करेंगे।अगर ऐसा है तो

जी.

एच.

एक अनुमान बार रूम पर समान रूप से लागू होगा जहां महिला वेट्रेस द्वारा शराब परोसी जाती है।हालाँकि, अदालतों द्वारा ऐसी शर्तों को अनुचित माना गया है।इस प्रकृति की विचलन या छिटपुट घटनाएं हो सकती हैं जो न केवल उन स्थानों पर हो सकती हैं जहां नृत्य प्रदर्शन का मंचन किया जाता है, बल्कि बार रूम और यहां तक कि मुख्य रेस्तरां सहित अन्य स्थानों पर भी हो सकती हैं।इस तरह की बारीकियों की जांच के लिए अन्य उपाय अपनाने होंगे।मादक पेय पदार्थ परोसने पर पूर्ण प्रतिबंध नहीं हो सकता है।इसलिए हम शर्त संख्या 12 को रद्द करते हैं।"

39. इस प्रकार यह स्पष्ट है कि राज्य जिन तर्कों पर भरोसा कर रहा है, उनमें से प्रत्येक पर वैधानिक निषेधों के साथ-साथ लाइसेंस की शर्तों को चुनौती देने के संदर्भ में विचार किया गया था।वर्तमान मामले में दिए गए तर्क, कि सार्वजनिक हित में प्रतिबंध आवश्यक हैं, महिलाओं के कल्याण को बढ़ावा देने के लिए, महिलाओं में मानव तस्करी और उनके शोषण को रोकने के लिए, और सार्वजनिक नैतिकता के हित में प्रतिबंध आवश्यक हैं, पूरी तरह से जीर्ण हैं, और निर्णायक रूप से खारिज कर दिए गए हैं।समान अस्वीकृत प्रस्तुतियों को फिर से संगठित करने के अलावा, राज्य ने स्वतंत्र रूप से यह उचित नहीं ठहराया है कि कैसे एक व्यक्तिगत ऑर्केस्ट्रा या बैंड के लिए लिंग-टोपी नियामक है।

ग

डी.

40. इस अदालत के दिनांक 02.03.2016 के आदेश में दर्ज किया गया था कि शर्तें रेस्तरां क्षेत्र में मंच (जहां प्रदर्शन आयोजित किए जाने थे) के आकार को 10 फीट x 12 फीट के क्षेत्र तक सीमित कर सकती हैं।

ई.

रेस्तरां और परमिट के बीच गैर-पारदर्शी विभाजन के साथ F.L.-III के लिए आबकारी विभाग की अनुमोदित योजना के अनुसार परमिट रूम

कमरे का क्षेत्र।" अदालत को सूचित किया गया कि कलाकारों की संख्या की सीमा चार होगी।हालांकि कलाकारों की संख्या की कुल सीमा, जो वर्तमान मामले में आठ है, को अनुचित नहीं माना जा सकता है, क्योंकि बाड़े (120 वर्ग फुट) में वाद्ययंत्रकार भी शामिल होंगे, उस आदेश में मंडली या बैंड के लिए लिंग-सीमा पर विचार करने का कोई अवसर नहीं था।

च

41. जहाँ तक कर्नाटक लाइव बैंड रेस्टोरेंट एसोसिएशन (उपरोक्त) में इस अदालत के फैसले का संबंध है, एक लाइव बैंड के लिए लाइसेंस प्राप्त करने की आवश्यकता को चुनौती दी गई थी।इस अदालत ने माना कि लाइसेंस प्राप्त करने की कानूनी आवश्यकता उचित थी।वहाँ, लाइसेंस की शर्तों पर कोई विवाद नहीं था।इसलिए, उस निर्णय का वर्तमान मामले में विवाद पर कोई असर नहीं है।

जी.

एच.

345

होटल प्रिया, एक स्वामित्व बनाम महाराष्ट्र राज्य और ओआरएस। [एस. रवींद्र भाट, जे.] ए.

क.

42. विवादित लिंग-सीमा (अर्थात किसी भी प्रदर्शन में चार महिलाएँ और चार पुरुष) एक रूढ़िवादी दृष्टिकोण का उत्पाद प्रतीत होता है कि अपीलकर्ताओं की तरह बार और प्रतिष्ठानों में प्रदर्शन करने वाली महिलाएं समाज के एक निश्चित वर्ग से संबंधित हैं। बोधगम्य रूप से, इस न्यायालय ने यह टिप्पणी की,

आई. एच. आर. ए.-I में"डांस बार के खिलाफ दमनकारी और नैतिक दृष्टिकोण का कारण पितृसत्तात्मक दृष्टिकोण से है कि महिलाएं "घर या घरेलू क्षेत्र के बाहर किसी भी प्रकार के काम या पेशे में संलग्न" निम्न सामाजिक स्थिति "रखती हैं।

43. अनुज गर्ग और ओआरएस बनाम.भारत और अन्य का होटल संगठन। 14.

इस अदालत ने राज्य के तर्कों के संदर्भ में महिलाओं के रोजगार पर प्रतिबंधों की जांच की कि उन्हें चोट से बचाने के लिए इस तरह के उपाय आवश्यक थे और निम्नानुसार टिप्पणी कीः

ग

36. हम खाली अधिकारों की बयानबाजी को आगे बढ़ाने का इरादा नहीं रखते हैं।राज्य संरक्षण के बिना महिलाएं उतनी ही असुरक्षित होंगी जितनी कि विवादित अधिनियम के कारण स्वतंत्रता के नुकसान से। वर्तमान कानून संरक्षण के नाम पर अपने विषय को पीड़ित करता है।इस संबंध में संरक्षण के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए राज्य द्वारा निर्धारित हस्तक्षेप वैध उद्देश्यों के अनुपात में होना चाहिए।आनुपातिकता को निर्धारित करने का मानक एक ऐसा मानक होना चाहिए जो आधुनिक लोकतांत्रिक समाज में उचित कहा जा सके।

डी.

ई.

37. महिलाओं की स्वतंत्रता पर अंकुश लगाने के बजाय, सशक्तिकरण एक अधिक स्थायी और सामाजिक रूप से बुद्धिमान दृष्टिकोण होगा।यह सशक्तिकरण राज्य की कानून प्रवर्तन रणनीतियों के साथ-साथ इस संबंध में किए गए कानून मॉडलिंग में परिलक्षित होना चाहिए।"

च

बाद में, उसी निर्णय के दौरान, यह देखा गया कि -

“47. अपने अंतिम प्रभाव में किसी भी कानून को महिलाओं के उत्पीड़न को कायम नहीं रखना चाहिए।व्यक्तिगत स्वतंत्रता एक मौलिक सिद्धांत है जिससे उपयुक्तता के नाम पर तब तक समझौता नहीं किया जा सकता जब तक कि कोई सम्मोहक राज्य उद्देश्य न हो।ऐसे मामलों में न्यायिक समीक्षा के लिए जांच का ऊंचा स्तर मानक सीमा है।"

जी.

14 (2008) 3 एससीसी 1.

एच.

346

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2022] 16 एस सी आर।

44. इस विचार को जोसेफ शाइन बनाम भारत संघ 15 में इस अदालत के एक सहमत निर्णय में अधिक मार्मिक रूप से व्यक्त किया गया था, जहां इस बात पर जोर दिया गया था किः

“समाज एक महिला के लिए असंभव गुणों का श्रेय देता है और अनुरूपता की उम्मीद से उसे व्यवहार के एक संकीर्ण क्षेत्र तक सीमित रखता है।[नंदिता हक्सर, लोतिका सरकार में "प्रभुत्व, दमन और कानून" और बी. शिवरामय्या (संस्करण), महिला और कानूनःसमकालीन समस्याएं, (विकास पब्लिशिंग हाउस 1994)।]एक महिला को एक पायदान पर उठाना प्रयास का एक हिस्सा है।दूसरा भाग उसे एक स्थान तक सीमित रखने के बारे में है।उस स्थान की सीमाएँ इस बात से परिभाषित होती हैं कि एक महिला को क्या होना चाहिए और क्या नहीं होना चाहिए।एक ऐसा समाज जो महिलाओं को शुद्ध और पुण्य के अवतार के रूप में मानता है, उन्हें पुण्य के अवतार के रूप में विषाक्तता के अधीन करने में कोई हिचक नहीं है, समाज महिलाओं से मूक दर्शक होने और यहां तक कि घर के भीतर घोर भेदभाव को स्वीकार करने की अपेक्षा करता है।यह एक महिला के लिए क्या सही है और क्या गलत है, इस बारे में पुरुष धारणाओं द्वारा शर्तित महिलाओं को एक पायदान पर उठाने की प्रक्रिया का हिस्सा है।"

ग

डी.

45. बहुत पहले, सी. बी. मुथम्मा बनाम भारत संघ 16 में, यह न्यायालय

एक सेवा नियम में स्पष्ट अन्याय और भेदभाव को मान्यता दी गई, जिसमें भारतीय विदेश सेवा की एक महिला अधिकारी को शादी करने से पहले अनुमति प्राप्त करने की आवश्यकता थी, और सरकार को उसकी सेवाओं को समाप्त करने की शक्ति के साथ सशस्त्र किया गया था यदि यह संतुष्ट था कि उसका परिवार और

ई.

घरेलू प्रतिबद्धताएँ सेवा के सदस्य के रूप में उनके कर्तव्यों के उचित और कुशल निर्वहन के रास्ते में आने की संभावना है।यह

न्यायालय ने बहुत स्पष्ट शब्दों में इस नियम को भेदभावपूर्ण मानते हुए अमान्य करार दियाः

च

"5. महिलाओं के खिलाफ भेदभाव, दर्दनाक पारदर्शिता में, इस नियम में पाया जाता है।यदि कोई महिला सदस्य शादी करने से पहले सरकार की अनुमति प्राप्त करेगी, तो वही जोखिम सरकार द्वारा चलाया जाता है यदि कोई पुरुष सदस्य शादी का अनुबंध करता है।यदि सेवा की एक महिला सदस्य की पारिवारिक और घरेलू प्रतिबद्धताओं के कर्तव्यों के कुशल निर्वहन के रास्ते में आने की संभावना है, तो एक पुरुष सदस्य के मामले में भी ऐसी ही स्थिति उत्पन्न हो सकती है।एकल परिवारों के इन दिनों में, अंतर-महाद्वीपीय विवाह और अपरंपरागत व्यवहार,

जी.

15 (2019) 3 एससीसी 39. 16 (1979) 4 एससीसी 260।

एच.

होटल प्रिया, एक स्वामित्व बनाम महाराष्ट्र राज्य और ओआरएस। [एस. रवींद्र भाट, जे.] ए.

क.

प्रजाति के सौम्य के खिलाफ नग्न पूर्वाग्रह को समझने में विफल रहता है।भारतीय विदेश सेवा (भर्ती, संवर्ग, वरिष्ठता और पदोन्नति) नियम, 1961 का नियम 18 उसी प्रतिकूल दबाव में चलता हैः

"(1)-(3) * * *

(4) किसी भी विवाहित महिला को सेवा में नियुक्त होने का अधिकार नहीं होगा।"

6. पहली बार में यह नियम अनुच्छेद 16 की अवहेलना है। यदि एक विवाहित पुरुष का अधिकार है, तो एक विवाहित महिला, अन्य चीजें समान होने के कारण, इससे भी बदतर स्थिति नहीं है।यह स्त्री-द्वेषपूर्ण मुद्रा कमजोर लिंग को परेशान करने की मर्दाना संस्कृति का एक हैंगओवर है, यह भूलकर कि कैसे राष्ट्रीय स्वतंत्रता के लिए हमारा संघर्ष भी महिलाओं की गुलामी के खिलाफ एक लड़ाई थी।स्वतंत्रता अविभाज्य है और न्याय भी अविभाज्य है।यह कि अनुच्छेद 14 और 16 में निहित हमारे संस्थापक विश्वास को भारत की आधी मानवता यानी हमारी महिलाओं की तुलना में दुखद रूप से नजरअंदाज किया जाना चाहिए था, पुस्तक में संविधान और कार्रवाई में कानून के बीच की दूरी पर एक दुखद प्रतिबिंब है।और यदि संसद के सरोगेट के रूप में कार्यपालिका भाग III के नियमों को लागू करती है, विशेष रूप से जब उच्च राजनीतिक पद, यहां तक कि राजनयिक कार्य भी महिलाओं द्वारा भरे गए हैं, तो लैंगिक समानता के लिए कठोर एलर्जी का अनुमान अनिवार्य है।"

ग

डी.

ई.

46. प्रतिवादियों द्वारा प्रतिबंध को बनाए रखने के लिए प्रदान किया गया औचित्य, जहां तक वे महिलाओं की रक्षा करने का दावा करते हैं, इस अदालत की राय में, उनकी आकांक्षाओं को समाहित करने के आरोप के लिए खुला है।महिलाओं की सुरक्षा के लिए कोई वास्तविक चिंता होने की स्थिति में, राज्य का कर्तव्य है-जैसा कि अनुज गर्ग ने रेखांकित किया है, उनके काम के लिए अनुकूल परिस्थितियां पैदा करना, उनके रोजगार को सुविधाजनक बनाने के लिए उस अतिरिक्त प्रयास को विफल करने के बजाय, और उनकी पसंद को दबाना।ऐसे उपाय-जो संरक्षण का दावा करते हैं, वास्तव में अनुच्छेद 15 (3) के विनाशकारी हैं क्योंकि वे विशेष प्रावधानों के रूप में काम करते हैं और महिलाओं की पसंद को सीमित करने या पूरी तरह से बाहर करने के लिए काम करते हैं।

च

जी.

47. जहाँ तक इस सवाल का सवाल है कि क्या किसी कानून या नियम में निहित कोई शर्त है, इस अदालत के पिछले फैसलों, बिजॉय इमैनुएल (ऊपर), नवीन जिंदल (ऊपर) को अपीलकर्ताओं द्वारा उद्धृत किया गया था।वर्तमान मामले में, कलाकारों की कुल संख्या पर विनियमन, या यहां तक कि एक मंच के आयाम (जिस पर एक प्रदर्शन हो सकता है)

एच.

इसे प्रतिबंध के रूप में वर्णित नहीं किया जा सकता है; वे आयुक्त या सरकार के अधिकार के वैध क्षेत्र के भीतर आ सकते हैं जो ऐसी शर्तें तैयार करता है।इस अदालत के निष्कर्ष और निष्कर्षों को देखते हुए कि प्रतिबंध लिंग पर है, इस अर्थ में कि यह लिंग के आधार पर कलाकारों की संख्या को सीमित करना चाहता है।यह प्रतिबंध सीधे अनुच्छेद 15 (1) और अनुच्छेद 19 (1) (जी) का उल्लंघन करता है-बाद वाला प्रावधान कलाकारों के साथ-साथ लाइसेंस मालिकों दोनों के लिए प्रभावी है।इन निष्कर्षों को ध्यान में रखते हुए, इस अदालत की राय है कि इस सवाल का जवाब देना अनावश्यक है कि क्या लगाई गई शर्त-और जिसे अप्रवर्तनीय और शून्य माना जाता है, "कानून" है।

48. जैसा कि इस अदालत के अधिकारियों ने बार-बार जोर दिया है, जब भी चुनौती आती है, विशेष रूप से लिंग के आधार पर, यह न्यायाधीशों का काम है कि वे बारीकी से जांच करें कि क्या, क्या और किस हद तक विवादित प्रथाओं या नियमों या मानदंडों की जड़ें ऐतिहासिक पूर्वाग्रह, लिंग रूढ़िवाद और पितृत्ववाद में निहित हैं।इस तरह के दृष्टिकोण का हमारे समाज में कोई स्थान नहीं है; हाल के घटनाक्रमों ने उन क्षेत्रों को उजागर किया है जिन्हें अब तक विशेष पुरुष "गढ़" माना जाता था जैसे कि सशस्त्र बलों में रोजगार, अब ऐसा नहीं है।इसी तरह, वर्तमान मामले में, यह अदालत मानती है कि विवादित स्थिति द्वारा लगाई गई लिंग सीमा अमान्य है।उम्मीद की जा सकती है कि वर्तमान निर्णय अभी भी इस अदालत के पिछले फैसलों द्वारा बहुत पहले बंद किए गए एक झांझ का एक लंबा और असंगत नोट होगा।

ग

डी.

49. पूर्वगामी कारणों से, विवादित निर्णय को इसके द्वारा दरकिनार कर दिया जाता है।एतद्द्वारा यह घोषित किया जाता है कि नियम, 1960 और अन्य संबद्ध प्रावधानों के तहत लाइसेंस प्राप्त सलाखों में ऑर्केस्ट्रा और बैंड में प्रदर्शन करने वाली महिलाओं या पुरुषों की संख्या के बारे में लिंग सीमा लागू करने की शर्त अमान्य है।जबकि किसी भी प्रदर्शन में कलाकारों की समग्र सीमा

आठ से अधिक नहीं हो सकती है, रचना (यानी, सभी महिला, बहुसंख्यक महिला या पुरुष, या इसके विपरीत) किसी भी संयोजन की हो सकती है।अपील की अनुमति है, लेकिन लागत पर कोई आदेश नहीं है।

ई.

च

दिव्या पांडे और अमरेंद्र कुमार

अपीलों की अनुमति दी गई।

(सहायकः अदनान खान, एलसीआरए)

जी.

एच.